SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध समाज के हित के लिए खतरा

प्रीति तन्ना टाँक, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग,
शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
प्रीति तन्ना टाँक, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग,
शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 14/10/2020
Revised on : -----
Accepted on : 21/10/2020
Plagiarism : 01% on 15/10/2020

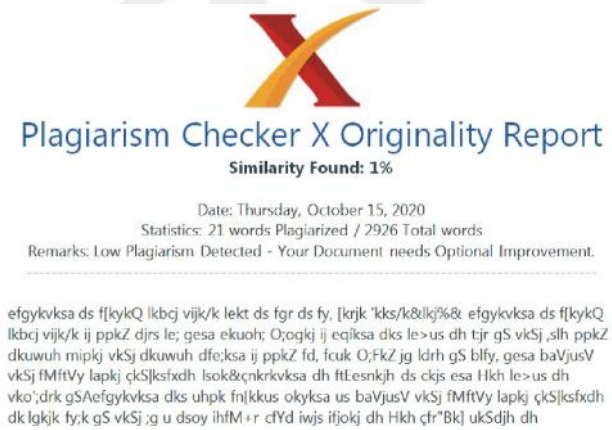
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 1%

Date: Thursday, October 15, 2020
Statistics: 21 words Plagiarized / 2926 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

efgykvksa ds f[kykQ lkbcj vijk/k lekt ds fgr ds fy, [krjk 'kks/k&lkj%& efgykvksa ds f[kykQ lkbcj vijk/k ij ppkZ djrs le; gesa ekuoh; O;ogkj ij eqiksa dks le>us dh tjr gS vkSj ,slh ppkZ dkuwuh mipkj vkSj dkuwuh dfe;ksa ij ppkZ fd, fcuk O;FkZ jg ldrh gS blfy, gesa baVjusV vkSj fMftVy lapkj çkS|ksfxdh lsok&çnkrkvksa dh ftEesnkjh ds ckjs esa Hkh le>us dh vko';drk gSAefgykvksa dks uhpk fn[kkus okyksa us baVjusV vkSj fMftVy lapkj çkS|ksfxdh dk lgkjk fy;k gS vkSj ;g u dsoy ihfM+r dYd iwjs ifjokj dh Hkh çfr"Bk] ukSdjh dh

शोध सार

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध पर चर्चा करते समय हमें मानवीय व्यवहार पर मुद्दों को समझने की जरूरत है और ऐसी चर्चा कानूनी उपचार और कानूनी कमियों पर चर्चा किए बिना व्यर्थ रह सकती है, इसलिए हमें इंटरनेट और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी सेवा–प्रदाताओं की जिम्मेदारी के बारे में भी समझने की आवश्यकता है। महिलाओं को नीचा दिखाने वालों ने इंटरनेट और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है और यह न केवल पीड़ित बल्कि पूरे परिवार की भी प्रतिष्ठा, नौकरी की संभावनाओं एवं उनके सामाजिक जीवन को नष्ट कर सकता है। परेशान करना एवं लिंग के आधार पर नीचा दिखाना, दोनों ही विषयों को भारत में शिक्षाविदों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह समझा नहीं गया है। इंटरनेट पर महिलाओं और बच्चों को लक्षित करते अपराधों में ऑनलाइन ग्रूमिंग, शिकार पीड़ितों को फँसाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रूमिंग साइबर अपराध की दिशा में गलत संबंध स्थापित करने की ओर पहला चरण है। ऐसे कई कारक हैं जो अपराधी को अपना शिकार फंसाने और ग्रूम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण अकेलेपन की भावना है। साइबर जगत में महिलाओं एवं लड़कियों की गोपनीयता के उल्लंघन के विभिन्न तरीके हो सकते हैं जिनमें हैकिंग, पीछा करना, दर्शनरति आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है। हैकिंग शब्द की भारत के मौजूदा कानूनों में कोई परिभाषा नहीं है और इस मुद्दे को 'अनाधिकृत पहुंच' शब्द के तहत कानूनों द्वारा संबोधित किया गया है। ऐसी गतिविधियों से महिलाएं कैसे प्रभावित होती हैं और इसके लिए कौन से कानूनी निर्देश हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के बारे में बात करते समय पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन अश्लीलता ऐसे विषय हैं, जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। जब

इंटरनेट पर वाक् स्वतंत्रता, औरतों के लिए साइबर सुरक्षा और इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की बात आती है तो पोर्नोग्राफी और अश्लीलता कई कानूनी वाद–विवादों, अदालती फैसलों और अकादमिक वाद–विवादों का केंद्र होते हैं।

मुख्य शब्द

इंटरनेट, डिजिटल, ऑनलाइन ग्रूमिंग, हैकिंग, पोर्नोग्राफी।

आज के युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) को प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विकास के सबसे अच्छे उपहारों में से एक माना जाता है। ICT में दो प्रमुख प्रकार की संचार प्रौद्योगिकियां, विशेष तौर पर आधुनिक युग की संवादमूलक संचार प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में शामिल हैं: ये इंटरनेट संचार प्रौद्योगिकियां और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियाँ हैं। पहली तरह की प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सोशल मीडिया वेबसाइटों, वाणिज्यिक या सरकारी वेबसाइटों और वेब पोर्टल, ब्लॉगों, इंटरनेट और फोरमों सहित इंटरनेट प्लेटफार्मों के माध्यम से संचार, जानकारी साझा करने के साधन एवं तकनीकों को शामिल किया जा सकता है। दूसरी में संदेशों या सूचनाओं के आदान–प्रदान के साधनों एवं तकनीकों को शामिल किया जा सकता है। इसमें ईमेल, SMS, स्काइप, चैट जैसे वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तथा व्हाट्सएप जैसी त्वरित संदेश सेवाओं के माध्यम से संचार का आदान–प्रदान शामिल हो सकता है। ICT में डिजिटल संचार तकनीक भी शामिल हो सकती है।

साइबर अपराध 'इंटरनेट (चैट रूम, ईमेल, नोटिस बोर्ड और समूहों) और मोबाइल फोनों (SMS/MMS) जैसे आधुनिक दूरसंचार नेटवर्कों का उपयोग करके, पीड़ितों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से महिलाओं के खिलाफ लक्षित अपराध हैं'।

साहित्य की समीक्षा

1. **नीलेश जैन :** मार्च 2014 इस पेपर का तर्क है कि साइबर अपराध या ई – अपराध व्यवसाय का नया रूप और हाई–टेक अपराधियों को प्रस्तुत करता है। यह पेपर साइबर अपराधों, साइबर–क्राइम अपराधियों और उनके अभिप्रायों का अवलोकन करता हैं।
2. **वी. कर्मचंद गांधी :** साइबर अपराध एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है। विश्वव्यापी सरकारें, पुलिस विभाग और खुफिया इकाइयों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। सीमा पार साइबर खतरों को रोकने के लिए पहल कर रहे हैं आकार। भारतीय पुलिस ने देश भर में विशेष साइबर सेल शुरू किए हैं और शिक्षित करना शुरू किया है कार्मिक। यह पत्र भारत में साइबर अपराध पर एक झलक प्रदान करने का एक प्रयास है। यह कागज है समाचार मीडिया और समाचार पोर्टल की विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर।

शोध का उद्देश्य

हम मौजूदा कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका उपयोग महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों के संदर्भ में भारत में लैंगिक आधार पर अवपीड़न एवं ट्रॉलिंग विरोधी कानूनों के रूप में किया जा सकता है।

1. हमें इंटरनेट पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों पर क्यों ध्यान देना चाहिए।
2. समाज के हित के लिए भाषा पर प्रतिबंध लगाने के कई अधिनियम हैं।
3. इंटरनेट पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों के संबंध में वाक् एवं अभिव्यकक्ति के अधिकार के स्वतंत्र उपयोग का सदैव स्वागत क्यों नहीं किया जाता है।
4. भारत में साइबर अवपीड़न एवं ट्रॉलिंग, को नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।

परिकल्पना

1. क्या ट्रॉलिंग लैंगिक आधार पर अवपीड़न की तरह महिलाओं पर गहरा और दूरगामी प्रभाव डालता है?
2. क्या भारत में महिलाओं को ट्रॉलिंग को कंप्यूटर–आधारित संचार प्रणाली में खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में देखना चाहिए?
3. इंटरनेट पर आपत्तिजनक भाषा और अभिव्यक्ति के महिलाओं और लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता हैं?

अनुसंधान क्रियाविधि

यह शोध खोजपूर्ण शोध पर आधारित है, जिसे शोध के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस शोध को फलदायी बनाने के लिए प्राथमिक आंकड़ों को एक स्थिर प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से 100 उत्तरदाताओं का नमूना लिया गया। 'शोध में पुस्तकों, पत्रिकाओं और विभिन्न वेबसाइटों से एकत्र किया गया द्वितीयक डेटा भी 'शामिल हैं। इस अध्ययन में सुविधा नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया गया है।

उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

1. ट्रोलिंग महिलाओं पर अधिक होती हैं

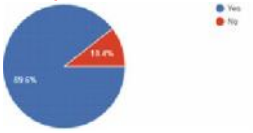

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

आंकड़ा 1 दर्शाता है कि 89.6% उत्तरदाताओं का मानना है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक ट्रोलिंग और 10.4% ट्रोलिंग दूसरों पर होती है।

2. महिलाओं पर ट्रोलिंग जाति के आधार पर होती हैं

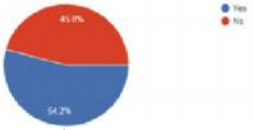

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

आंकड़ा 2 दर्शाता है कि 54.2% उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं पर ट्रोलिंग जाति के आधार पर होती है। 45.8% का कहना है कि ट्रोलिंग जाति से संबंधित नहीं है।

3. ट्रोलिंग किस उम्र की महिलाओं पर अधिक होती हैं

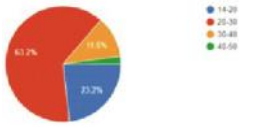

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

आंकड़ा 3 से पता चलता है कि 20–30 वर्ष की आयु की महिलाओं पर ट्रोलिंग सबसे अधिक है। इसके बाद 14–20 वर्ष की आयु की महिलाएं और सबसे कम 40–50 वर्ष की आयु की महिलाएं हैं।

4. ऑनलाइन ट्रोलिंग महिलाओं पर मानसिक प्रभाव डालती हैं

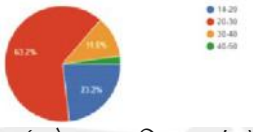

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

आंकड़ा 4 दर्शाता है कि 90.6% उत्तरदाताओं का मानना है कि ट्रोलिंग का महिलाओं पर मानसिक प्रभाव पड़ता है, 9.4% उत्तरदाताओं का कहना है कि यह मानसिक प्रभाव नहीं डालता है।

5. क्या ट्रोलिंग महिलाओं को आत्महत्या करने हेतु प्रेरित करती हैं?

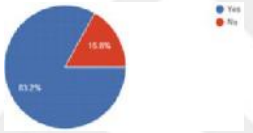

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

आंकड़ा 5 दर्शाता है कि उत्तरदाताओं में से 83.2% का कहना है कि, हाँ ट्रोलिंग महिलाओं को आत्महत्या की ओर ले जाती है जबकि 16.8% का मानना है कि ट्रोलिंग से आत्महत्या नहीं होती है।

6. क्या भारत में साइबर अवपीड़न और ट्रॉलिंग विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में साइबर अवपीड़न एवं ट्रॉलिंग को नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है?

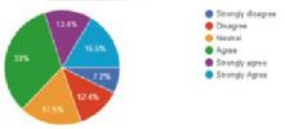

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

आंकड़ा 6 दर्शाता है कि महिलाओं के उत्पीड़न और ट्रोलिंग को नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। उत्तरदाताओं का 13.4% दृढ़ विश्वास है कि कोई कानून नहीं है जबकि 33% सहमत हैं। लेकिन 7.2% उत्तरदाताओं ने असहमत हैं कि हमारे पास इसे दिखाने के लिए कोई कानून नहीं है जैसा कि आंकड़े दिखाते हैं।

7. क्या ट्रोलिंग लैंगिक आधार पर अवपीड़न की तरह महिलाओं पर गहरा और दूरगामी प्रभाव डालता है?

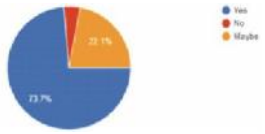

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

आंकड़ा 7 दर्शाता है कि उत्तरदाताओं का 72.2% विश्वास है कि ट्रॉलिंग लैंगिक आधार पर अवपीड़न की तरह महिलाओं पर गहरा और दूरगामी प्रभाव डालता है, जबकि 22.1% ऐसा नहीं मानते हैं।

8. क्या भारत में महिलाओं को ट्रोलिंग को कंप्यूटर.आधारित संचार प्रणाली में खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में देखना चाहिए?

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

आंकड़ा 8 दर्शाता है कि जबकि 16.1% उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि ट्रोलिंग को कम्प्यूटर–आधारित संचार प्रणालियों में एक खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, 30.1% उत्तरदाता भी सहमत हैं। उत्तरदाताओं का 12.9% समूह स्वीकार करता है कि ट्रोलिंग, कंप्यूटर आधारित संचार प्रणालियों में खतरनाक नहीं है।

भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है, फिर भी समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं को पुरुषों से नीचा दिखाया गया है। सामाजिक संरचना के कारण, अक्सर कई पुरुष युवा महिलाओं की भविष्य में विवाह की संभावनाओं को खत्म करने के लिए इंटरनेट पर महिलाओं की प्रोफाइल खराब कर देते हैं। वर्तमान परिदृश्य अधिक खतरनाक हैः इंटरनेट पर ट्रोलिंग करने वाले, महिला कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, मशहूर हस्तियों, शिक्षाविदों को लक्षित करने और इस तरह अपने परपीड़क उद्देश्यों के लिए 'घृणा फैलाने' के वास्ते सोशल मीडिया वेबसाइटों और व्हाट्सएप जैसी तात्कालिक संदेश सेवाओं का उपयोग करते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों और ऐसे कानूनों के कारण है जो, इस तरह के सामाजिक मानदंडों का समर्थन करते हैं या इन पर विचार नहीं करते हैं, पश्चिमी समाजों से अलग है।

भारत में महिलाओं को लक्षित करने वाले इंटरनेट या डिजिटल अपराधों को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानून नहीं है। 2000 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम) भारत में साइबर जगत से जुड़े मुद्दों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था जो 17 अक्टूबर, 2000 को लागू हुआ था। हालांकि, इस प्रावधान का दायरा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ई–फाइलिंग तथा डिजिटल हस्ताक्षर बनाने एवं प्रबंधन करने तथा भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंकर बही–खाता साक्ष्य अधिनियम, 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में कानूनी संशोधन प्रदान करने तक सीमित था। इसके अलावा, IT अधिनियम में कुछ प्रकार के अपराधों को दंडित करने के लिए सीमित प्रावधान थे, जिनमें कंप्यूटर सिस्टम, हैकिंग, अश्लील सामग्री का डिजिटल रूप में प्रकाशन आदि शामिल हैं। इस अधिनियम को सही तरह से लागू करने के लिए कई नियम भी बनाए गए थे। इसे सुधारने के लिए IT अधिनियम का एक नया संशोधित संस्करण लाया गया था, जिसे 2008 से कार्यान्वित किया गया था। बाद वाले अधिनियम को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के रूप में जाना जाता है (2008 में संशोधित, IT अधिनियम, 2008) जो संशोधित प्रावधानों के साथ–साथ शामिल किए नए प्रावधानों और 2011 में लाए गए नियमों के साथ कुछ हद तक इन कमियों को पूरा कर सका। यह अधिनियम नफरत भरे भाषण या महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के लिए कोई प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने में गंभीर रूप से असफल रहा है।

इंटरनेट और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी ने शहरी और ग्रामीण भारत में प्रवेश कर लिया है, लेकिन कई शहरों और शहरी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों में साइबर अपराध प्रकोष्ठों का संचालन बहुत निराशाजनक रहा है। कई गैर–महानगरीय शहरों तथा अर्ध–शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर अपराध प्रकोष्ठ का गठन ही नहीं किया गया है। इसके अलावा, यहां महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने के लिए कार्यक्षम पुलिस बल तथा इंटरनेट एवं डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।

ट्रोलिंग और लैंगिक आधार पर अवपीड़न

भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के क्षेत्र में इंटरनेट पर लैंगिक आधार पर अवपीड़न एवं ट्रोलिंग दो ऐसे विषय हैं जिन पर सबसे कम शोध किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से उत्पीड़न ने शोधकर्ताओं का काफी ध्यान आकर्षित किया है, खासतौर पर स्कूल के बच्चों, किशोरावस्था के बच्चों आदि के संबंध में, साइबर अवपीड़न की गंभीरता तथा कंप्यूटर–आधारित संचार में पहचान के साथ छेड़छाड़ के खतरों समेत इंटरनेट के कठोर सत्यों को शोधकर्ताओं, कानून बनाने वालों के साथ–साथ सामान्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा महसूस किया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम, 2013 या परिपक्व किशोरों सहित बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए अधिनियम, 2012 में निर्दिष्ट किया गया है। भारत में व्हाट्सएप अवपीड़न पर सेंटर फॉर साइबर विक्टिम काउंसलिंग द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण में कोलकाता, दिल्ली और तिरुनेलवेली से कुल 131 उत्तरदाताओं (99 महिलाओं और 32 पुरुषों सहित) में से 10.7% ने कहा कि उन्हें व्हाट्सएप पर अवपीड़क, परेशान करने वाले संदेश प्राप्त हुए थे जबकि 9.9% ने कहा कि उन्हें अवपीड़क ईमोटिकॉन्स प्राप्त हुए थे। लैंगिक आधार पर अवपीड़न, किसी भी मंच, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एवं मोबाइल संचार प्रणाली या ईमेल के माध्यम से हो सकता है। लैंगिक आधार पर अवपीड़न सरल SMS के माध्यम से भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि लैंगिक आधार पर अवपीड़न सार्वजनिक मंचों या निजी चैट रूमों में किन्नरों को भी लक्षित कर सकता है।

कारण, प्रभाव और चुनौतियां

वयस्कों द्वारा साइबर अवपीड़न के कारण एवं तरीके किशोरों द्वारा साइबर अवपीड़न के समान हो सकते हैं। लैंगिक आधार पर ऑनलाइन अवपीड़न भी इसके समान है। हालांकि, साइबर अवपीड़न से संबंधित मामलों के संपर्क में आने एवं साइबर अवपीड़न पर साहित्य की समीक्षा करते हुए हम तकनीकी और सामाजिक–कानूनी मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़े दो प्रमुख कारकों का पता लगा सकते हैं जो विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में लैंगिक आधार पर साइबर अवपीड़न का कारण बन सकते हैं।

ये कारण निम्नलिखित हैं:

1. संचार के माध्यम के रूप में इंटरनेट का एक विशेष लाभ यह है कि इसमें व्यक्ति अपने नाम को गुप्त रख सकता है। एक प्रभावशाली व अधिकार–युक्त प्रोफाइल व्यक्ति के व्यक्तित्व को छिपाने और गुप्त रखने का व्यापक अवसर प्रदान करता है।
2. इंटरनेट अवपीड़न के लिए व्यापक मंच एवं तंत्र प्रदान कर सकता है, इसलिए सामाजिक–मनोवैज्ञानिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वयस्क अवस्था में अवपीड़न को अक्सर बचपन में अवपीड़न वाली आदतों से सहसंबंधित किया जाता है साइबर अवपीड़न व्यक्तियों में असाधारण मनोवैज्ञानिक लक्षणों के कारण हो सकती है। इसमें अहंकार और छल–कपट के लिए परिणामी आक्रामकता शामिल हो सकता है।

परिणाम

इंटरनेट पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों के संबंध में वाक् एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के स्वतंत्र उपयोग का सदैव स्वागत क्यों नहीं किया जाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति न सिर्फ विचारों का प्रचार–प्रसार कर सकता है, बल्कि किसी भी तरह की सूचना का आदान–प्रदान करने का अधिकार रखता है। हालांकि, यह अधिकार सार्वभौमिक नहीं है और इस पर समय–समय पर युक्ति–नियुक्ति निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। राष्ट्र–राज्य के पास यह अधिकार सुरक्षित होता है कि वह संविधान और कानूनों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस हद तक जाकर बाधित करने का अधिकार रखता है। हमें इंटरनेट पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों पर क्यों ध्यान देना चाहिए?

मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए तैयार नहीं है और इस पर गहन विचार चिंतन की आवश्यकता है जो एक नई दिशा में अन्वेषण के लिए भी तैयार हो, जो कि इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसा ही हाल में नियमों को ताक पर रखकर समाज में घिनौने कृत्य करने वाले लोगों को तुरंत दर्दनाक मौत का प्रावधान किया गया होता तो शायद महिलाओं की स्थिति आजकल कुछ और ही होती। जैसा कि– महादेवी वर्मा, ''**एक नही दो– दो मात्रे, नर से नारी भारी।**'' इसके बाबजूद एक महिला ही लड़की की अपेक्षा लड़को को अधिक महत्व देती हैं उसी का परिणाम आजकल देखने–सुनने को मिल रहा हैं। समाज की प्रत्येक महिला अपने पति और पुत्र को अनुशासित करने के लिए तैयार हो तो समाज का माहौल भी मनोनुकूल होगा और हमारी बेटियां भी सुरक्षित हो सकती हैं।

सुझाव

हमें दो प्राथमिकताओं का सामना करना पड़ता है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है: महिलाओं के खिलाफ साइबर दुर्व्यवहार और हिंसा को समाप्त करना और ऑफलाइन हानिकारक लिंग आधारित प्रथाओं का ऑनलाइन प्रजननय और प्रणालीगत परिवर्तन के लिए महिलाओं के खिलाफ और वाहनों के रूप में हिंसा के कई रूपों का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। संक्षेप में, समाधान नवीन आईसीटी प्रौद्योगिकियों, मीडिया और गेमिंग उद्योग, सामग्री रचनाकारों और प्रसारकों, इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं, नीति निर्माताओं और नियामकों के अभाव में पाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास कि शासन संरचना, रणनीति, निवेश, तकनीकी क्षेत्र (सार्वजनिक और निजी), पहुंच, और कौशल विकास समावेशी हैं और लिंग उत्तरदायी आवश्यक हैं। समाधानों को कार्यक्रमों, परियोजनाओं और कानूनों के मिश्रण के माध्यम से भी पाया जा सकता है जो सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों को बदलने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। राजनीतिक और सरकारी निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने लाइसेंसिंग प्रायोगिक का उपयोग करने की आवश्यकता है कि, केवल उन टेलीकॉम और खोज इंजन को जनता के साथ जुड़ने की अनुमति है, जो सामग्री की निगरानी करते हैं और इसके प्रसार नियामकों की भूमिका है। मीडिया और प्रौद्योगिकी यूनियनों, संघों, क्लबों, संगठनों, पेशेवरों और महिलाओं के मीडिया नेटवर्क के बीच सहयोग भी महिलाओं के नेतृत्व और मीडिया में निर्णय लेने और ऐसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

इंटरनेट पर वाक् एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के अनुचित प्रयोग द्वारा महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के दो प्रकार के उल्लंघन देखने को मिलते हैं (i) संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत आश्वस्त किए समानता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्वस्त किए गरिमा के साथ जीने के अधिकार सहित मौलिक मानव अधिकारो और (ii) सूचित किए जाने के अधिकार का उल्लंघन है।

महिलाओं को ट्रॉल्स, धमकाने वालों, पूर्व–प्रेमियों, पूर्व–पतियों, ससुराल वालों, नाराज रिश्तेदारों, इर्ष्यापूर्ण सहयोगियों द्वारा इंटरनेट पर अपमानजनक, निन्दात्मक, अनादरपूर्ण और नफरत भरी भाषा के साथ लक्षित किया जाता है। जब महिलाएं और लड़कियां विश्वव्यापी वेब से जुडी नहीं होती हैं तब भी उन्हें अनावश्यक फोन कॉलों और SMS द्वारा परेशान और उत्पीड़ित किया जा सकता है। इसके कारण और भी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है जिससे महिलाओं को अपने माता–पिता, शिक्षकों से बात करने या डिजिटल संचार सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध किसी भी प्रकार की जानकारी तक पहुंचने एवं दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करने से पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. Athar, Rima. (2015). End violence: *Women's rights and safety online. From impunity to justice: Improving corporate policies to end technology-related violence against women.*

Ed. Richa Kaul Padte. Published by Association for Progressive Communications (APC). March 2015. http://www.genderit.org/sites/default/upload/flow_corporate_ policies_formatted_final.pdf

2. Bridges, A., & Wosnitzer, R. (2007). *Aggression and sexual behavior in best-selling pornography: A content analysis update*. International Communication Association. (via http://stoppornculture.org/about/about-the-issue/facts-andfigures-2/)

3. Citron, Danielle Keats. (2009). "*Law's expressive value in combating cyber gender harassment*" Michigan Law Review, Vol. 108:373. 14 October 2009. http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1687&context=fac_pubs

4. Due Diligence Project. Accessed 12 May 2015. www.duediligenceproject.com

5. GenderiT.org. "*Cases on women's experiences of technology-related VAW and their access to justice*." 8 January 2015. Published by APC. Accessed 15 April 2015. http://www.genderit.org/node/4221

5. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) की धारा 2 (i) में कम्प्यूटर की परिभाषा दी गई हैं।

7. Mishra, S.N., *Indian penal code* (with the criminal law)(Amendment) Act,2018

8. Vibhute, V.L., PSAPillai's, *Criminal law* 14th Edition

****